राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

1. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2024/238
2. राजस्व वाद संख्या– 60/2024
3. दायर दिनांक–13.11.2024
4. निर्णय दिनांक–21.8.2025

1. काली पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर ....वादिया

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर ....प्रतिवादी

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज0 अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थिति– 1. श्री विमल किशोर तिवाड़ी वकील वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिया की संयुक्त कब्जे काश्त एवं ख़ातेदारी की कृषि भूमि वाकै राजस्व ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमांन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 481 के ख0न0 576 रकबा 0.7038 हैक्ट0 में वादिया का नाम काली पत्नि गंगाराम दर्ज है जो कि पुत्री के स्थान पर पत्नि दर्ज व ख0न0 2352/798 रकबा 0.9869 हैक्ट0 व ख0न0 2353/798 रकबा 0.1982 हैक्ट0 तथा ख0न0 802 रकबा 0,0566 हैक्ट. में वादिया का नाम काली पुत्र गंगाराम दर्ज है जो कि पुत्री के स्थान पर पुत्र दर्ज है। वाद वर्णित खाता एवं खसरा नम्बरान की आराजीयात में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अंनुसार वादिया का हिस्सा अन्तर्निहित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादिया का नाम काली पत्नि गंगाराम व काली पुत्र गंगाराम का इन्द्राज किया हुआ है जबकि वादिया का सही व वास्तविक नाम काली पुत्री गंगाराम है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादिया का नामान्तरकरण दर्ज करते समय वादिया को जानकारी नहीं थी क्योकि वादिया अशिंक्षित है व नामान्तरकरण की समझ वादिया को नहीं थी। इसलिए सहवन से दर्ज हो गया था। वादिया के ग्राम सुरसुरा के ख0न0 797 में काली पुत्री गंगाराम दर्ज है। वादिया की उक्त कृषि भूमि में अलग–अलग नाम अंकित होने से वादी को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने एवं अपनी कृषि भूमि का विकास करने व अन्य मुआवजा प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रतिवादी भूमिधारी होने से वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी का सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी (तहसीलदार रूपनगढ़) की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रकरण में वकील वादिया ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश किया, जिस पर वादिया व गवाहान रामा गुर्जर पुत्र लालू गुर्जर व श्योजी गुर्जर पुत्र लालू गुर्जर ने वाद पत्र के समर्थन में बयान दर्ज किये गये। वादिया ने ग्राम सुरसुरा के अंतिम चौसाला संवत 2070–2073 जमाबंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 136 के ख0न0 797 की जमाबंदी पेश की है जिसमें काली पुत्री गंगाराम 1/30 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज होने स्वरूप साक्ष्य पेश किये।

प्रकरण में वकील वादिया व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील वादिया ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादिया की वाद वर्णित कृषि भूमि में गलत नाम/संबंध (काली पुत्र गंगाराम व काली पत्नि गंगाराम) दर्ज है जबकि वादिया का सही नाम काली पुत्री गंगाराम है जिसके नाम की उद्घोषणा डिक्री प्रदान करके उक्त नाम का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु वादी के पक्ष में आदेश फरमाने की कृपा करावें।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। वादिया के ग्राम सुरसुरा के ख0न0 797 में काली पुत्री गंगाराम का अंकन होना तथा वादिया व गवाहान द्वारा पेश शपथ पत्र पर दर्ज बयान को आधार मानते हुये वादिया का वाद अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज0 अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार ग्राम सुरसुरा के ख0न0 576 रकबा 0.7038 हैक्ट0 में काली पत्नि गंगाराम के स्थान पर काली पुत्री गंगाराम एवं ख0न0 2352/798 रकबा 0.9869 हैक्ट0 व ख0न0 2353/798 रकबा 0.1982 व ख0न0 802 रकबा 0.0566 हैक्ट0 में वादिया का नाम काली पुत्र गंगाराम के स्थान पर काली पुत्री गंगाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

मूल वाद में डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ (अजमेर)

व इजलास श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व वाद सं0– 60/2024

2. काली पुत्री गंगाराम जाति गुर्जर नि0 ग्राम सुरसुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर ....वादिया

बनाम

3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर ....प्रतिवादी

राजस्व वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 1955 व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज0 अधिनियम 1956

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री कुलदीप सिंह शेखावत, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर डिक्री किया जाकर ग्राम सुरसुरा के ग्राम सुरसुरा के ख0न0 576 रकबा 0.7038 हैक्ट0 में काली पत्नि गंगाराम के स्थान पर काली पुत्री गंगाराम एवं ख0न0 2352/798 रकबा 0.9869 हैक्ट0 व ख0न0 2353/798 रकबा 0.1982 हैक्ट0 व ख0न0 802 रकबा 0.0566 हैक्ट0 में वादिया का नाम काली पुत्र गंगाराम के स्थान पर काली पुत्री गंगाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है

असप्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21-8-25 को जारी की गई।

कुलदीप सिंह शेखावत
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)